भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – *220

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2024

'दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण'

*220. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

श्रीमती डी.के.अरूणा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि

(क) क्या कुछ राज्यों ने दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण के लिए कई मांगों पर विचार करने का आग्रह किया है क्योंकि देश में 140 करोड़ लोगों में से 2.68 करोड़ को दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वे जनसंख्या का 2.21% हैं;

(ख) यदि हां, तो 'आंशिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति' हेतु भत्ता बढ़ाकर 6,000 रूपए प्रति माह तथा 'पूर्ण रूप से दिव्यांग व्यक्ति' के लिए भत्ता बढ़ाकर 15,000 रूपए प्रति माह करने की उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार के लिए आवेदन कर चुके सभी दिव्यांगों को रोजगार देने, सभी दिव्यांगों को अन्त्योदय अन्न योजना परिवार कार्ड जारी करने तथा सभी पात्र व्यक्तियों को दिव्यांगता भत्ता देने के लिए विशेषत: आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में प्रत्येक योजना के तहत संस्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का विशेषत: आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेंद्र कुमार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 10.12.2024 को "'दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण '' के संबंध में श्री सुरेश कुमार शेटकर और श्रीमती डी.के.अरूणा, माननीय सांसदों द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 220 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देता है। राज्य सरकारें योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में आने वाली कठिनाइयों से संबंधित मुद्दे उठाती हैं जिनका इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर उत्तर दिया जाता है।

(ख) भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के तहत 18-79 वर्ष की आयु श्रेणी में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित गंभीर या बहु दिव्यांगता वाले व्यक्ति को 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, आईजीएनडीपीएस की योजना के तहत 8.81 लाख से अधिक लाभार्थी कवर किए जाते हैं। एनएसएपी के पुनर्गठन के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त मांगों जैसे सहायता में वृद्धि, कवरेज और मानदंडों में बदलाव आदि पर 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए एनएसएपी योजना को जारी रखने के प्रस्ताव में विचार किया गया था। हालांकि, सरकार ने योजना को अपने वर्तमान स्वरूप में वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी दिव्यांगजनों को भत्ते प्रदान किये जाते हैं।

(ग) और (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) एक मांग आधारित ऐसी श्रम रोजगार योजना है, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक उस परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार होते हैं ,प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है ।

इस योजना के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा काम की अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में काम रखा जाएगा, ताकि कम से कम एक श्रम गहन सार्वजनिक काम हो, जिसमें कम से कम एक काम विशेष रूप से कमजोर समूहों, खासकर वृद्ध और दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त हो, जिसे मांग के अनुसार काम प्रदान करने के लिए हर समय खुला (तैयार)रखा जाएगा।

इस स्कीम के तहत, यदि नौकरी चाहने वाला व्यक्ति अकेली महिला या दिव्यांगजन या वृद्ध व्यक्ति या मुक्त बंधुआ मजदूर या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है, तो उन्हें एक विशिष्ट रंग का विशेष जॉब कार्ड दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें कार्य उपलब्ध कराने, कार्य मूल्यांकन तथा कार्यस्थल पर

सुविधानुसार कार्य करने में विशेष संरक्षण सुनिश्चित हो सके । काम के आवंटन के लिए, दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (04.12.2024) तक) के दौरान महात्मा गांधी एनआरईजीएस के अंतर्गत जारी निधि का राज्यवार विवरण, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य सहित, **अनुबंध-1** में दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत, प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) श्रेणी के लाभार्थियों के अलावा 2.5 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का निरंतर लाभ देने के लिए एएवाई को इसकी एक श्रेणी के रूप में अपनाया गया था। 1 जनवरी, 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। वर्तमान में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन 2.5 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों की अधिकतम सीमा की तुलना में, देश में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 2.37 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार कवर किए गए हैं। अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और लाभार्थियो की संख्या का संघ/राज्य वार विवरण, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य सहित, **अनुबंध II** में दिया गया है।

अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए न्यूनतम सुझावात्मक दिशानिदेर्शों में वे परिवार शामिल किये गये जिनकी मुखिया विधवा अथवा असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति अथवा अकेली महिला या पुरूष है जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है अथवा जिन्हें परिवारिक तथा सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं है तथा विधवाएं अथवा असाध्य रोग से ग्रस्त अथवा दिव्यांग व्यक्ति या 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के व्यक्ति या अकेली महिला अथवा अकेला पुरूष जिन्हें कोई परिवारक या सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है या जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, अंत्योदय अन्न योजना के अधीन पात्र परिवारों की पहचान करना और उन्हें राशन कार्ड जारी करना संबंधित राज्य/ संघ सरकारों द्वारा अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं मानदंडों और मानकों के जरिए किया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजनाओं (आईजीएनडीपीएस) के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित/जारी की गई निधियों का विवरण, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य सहित, **अनुबंध- III** में दिया गया है।

*****

अनुबंध -I

पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (04.12.2024 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत जारी की गई निधि का राज्यवार विवरण

क्र.संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	7182.67	7989.09	7332.63	7082.29
2	अरुणाचल प्रदेश	453.74	577.58	426.10	441.36
3	असम	2220.26	2052.35	2221.38	1618.00
4	बिहार	5407.37	6395.29	6200.03	6438.74
5	छत्तीसगढ	3894.34	3383.55	2888.56	2989.52
6	गोवा	0.04	5.12	0.88	2.98
7	गुजरात	1615.24	1692.07	1801.62	1215.72
8	हरियाणा	722.68	373.99	476.71	526.82
9	हिमाचल प्रदेश	975.75	1157.48	997.13	1140.13
10	जम्मू और कश्मीर	950.14	1050.61	920.44	1010.78
11	झारखंड	3063.83	2708.64	2916.76	2051.70
12	कर्नाटक	6028.08	6225.28	5415.74	5000.40
13	केरल	3551.93	3818.43	3513.48	2811.15
14	मध्य प्रदेश	8479.09	5702.13	5871.14	5199.89
15	महाराष्ट्र	2056.46	2549.73	3034.44	3868.31
16	मणिपुर	563.11	1086.63	0.00	350.20
17	मेघालय	1121.66	1116.92	912.33	895.72
18	मिजोरम	548.92	538.72	506.06	405.39
19	नागालैंड	569.46	897.45	637.96	236.20

20	ओडिशा	5680.15	4638.36	4891.89	3031.49
21	पंजाब	1257.59	1182.13	1166.55	1118.56
22	राजस्थान	9867.75	9662.99	8671.62	7066.92
23	सिक्किम	112.42	92.55	111.95	85.80
24	तमिलनाडु	9638.13	9706.62	12603.36	7182.56
25	तेलंगाना	4105.20	2988.68	3508.59	3751.51
26	त्रिपुरा	988.88	922.03	1043.59	926.06
27	उत्तर प्रदेश	8509.57	10629.01	9808.55	9272.55
28	उत्तराखंड	642.03	792.84	551.66	535.41
29	पश्चिम बंगाल	7507.80	0.00	0.00	0.00
30	अंडमान और निकोबार	7.63	9.60	0.00	2.31
31	लक्ष्यद्वीप	0.30	0.00	0.00	0.00
32	पुदुचेरी	13.07	24.95	58.77	36.96
33	लद्दाख	59.04	68.93	62.64	62.25
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	1.62	2.21	4.34
कुल		97794.33	90041.39	88554.76	76362.00

अनुबंध **–II**

अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवरेज (अक्टूबर, 2024)

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परिवारों की संख्या	व्यक्ति की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9.08	23.52
2	अरुणाचल प्रदेश	0.38	1.50
3	असम	6.92	28.08
4	बिहार	25.01	125.05
5	छत्तीसगढ़	7.19	20.42
6	दिल्ली	0.69	2.78
7	गोवा	0.12	0.46
8	गुजरात	7.76	35.82
9	हरियाणा	2.68	11.35
10	हिमाचल प्रदेश	1.65	6.82
11	झारखंड	8.94	34.76
12	कर्नाटक	10.97	43.91
13	केरल	5.96	25.59
14	मध्य प्रदेश	14.63	54.93
15	महाराष्ट्र	25.05	108.01
16	मणिपुर	0.64	1.91
17	मेघालय	0.70	2.91
18	मिजोरम	0.26	0.64
19	नागालैंड	0.48	2.11
20	ओडिशा	12.53	37.57
21	पंजाब	1.79	7.64
22	राजस्थान	6.29	22.29
23	सिक्किम	0.17	0.57
24	तमिलनाडु	18.64	65.78
25	तेलंगाना	5.67	15.95
26	त्रिपुरा	1.09	4.62
27	उत्तर प्रदेश	40.90	132.57
28	उत्तराखंड	1.84	7.92
29	पश्चिम बंगाल	16.42	54.99
30	अंडमान और निकोबार	0.04	0.14
31	दादर नगर हवेली दमन और दीव	0.05	0.24
32	लक्षद्वीप	0.01	0.04
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	0.00	0.01
34	पुडुचेरी (डीबीटी)	0.25	0.82
35	जम्मू एवं कश्मीर	2.33	10.61
36	लद्दाख	0.06	0.29
कुल		237.19	892.62

अनुबंध-III

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक आईजीएनडीपीएस के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण						
कुल आवंटन/जारी की गई कुल निधि (करोड़ रुपए में)						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25* 05.12.2024 की स्थिति के अनुसार
1	**आंध्र प्रदेश**	**9.05**	**6.79**	**9.05**	**11.32**	**6.96**
2	बिहार	44.70	46.78	46.78	47.13	15.20
3	छत्तीसगढ़	8.90	11.85	11.86	11.89	8.93
4	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	4.59	5.72	8.44	7.53	3.57
6	हरियाणा	1.54	0.00	8.91	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.32	0.08	0.24	0.55	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	0.28	0.67	0.45	2.00	0.00
9	झारखंड	7.12	12.20	9.83	7.25	2.47
10	कर्नाटक	16.18	16.18	15.74	12.91	0.00
11	केरल	13.87	0.00	0.00	31.18	0.00
12	मध्य प्रदेश	35.50	27.52	45.23	37.63	28.47
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ओडिशा	33.31	31.82	33.65	33.16	5.11
15	पंजाब	1.74	0.45	0.00	1.11	0.46
16	राजस्थान	10.94	2.08	15.50	7.10	8.85
17	तमिलनाडु	10.61	34.06	17.59	23.69	16.37
18	**तेलंगाना**	**9.70**	**3.24**	**6.47**	**5.14**	**0.00**
19	उत्तर प्रदेश	20.36	13.96	20.94	22.88	8.04
20	उत्तराखंड	1.31	0.27	1.30	1.07	0.80
21	पश्चिम बंगाल	22.78	13.87	11.31	32.34	10.13
22	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

23	असम	7.01	7.01	12.93	12.29	4.87
24	मणिपुर	0.56	0.09	0.47	0.27	0.00
25	मेघालय	0.36	0.17	0.47	0.56	0.44
26	मिजोरम	0.15	0.07	0.20	0.26	0.20
27	नागालैंड	0.36	0.27	0.36	0.28	0.28
28	सिक्किम	0.25	0.00	0.21	0.00	0.00
29	त्रिपुरा	0.33	0.49	0.51	0.74	0.00
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादर और नगर हवेली ओर दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	एनसीटी दिल्ली	1.17	1.76	0.00	0.00	1.67
34	लद्दाख	0.01	0.00	0.13	0.00	0.03
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुडुचेरी	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**263.14**	**237.40**	**278.57**	**310.47**	**122.86**

****